Juni Khyat (जूनी ख्यात)
(UGC CARE Group I Listed Journal)
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18204645
ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-11, No.02, November: 2025

शोध पत्र: मध्यप्रदेश की सहरिया जनजाति में व्याप्त बाल श्रम की समस्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. आशुतोष द्विवेदी
शिक्षण सहायक
बी. जे. आर. विधि संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश की सहरिया जनजाति में व्याप्त बाल श्रम की समस्या का विस्तृत समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सहरिया समुदाय को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति (PVTG) की श्रेणी में रखा गया है। इस शोध पत्र में यह रेखांकित किया गया है कि किस प्रकार भीषण निर्धनता, भूमिहीनता और ऋणग्रस्तता के कारण इस जनजाति के बच्चे अपने सुनहरे बचपन को त्यागकर छोटी उम्र में ही श्रम बाजार की ओर प्रस्थान करने को विवश हैं। प्रस्तुत अध्ययन में बाल श्रम के मूल कारणों, बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके विनाशकारी प्रभावों और वर्तमान सरकारी नीतियों की जमीनी प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया गया है। शोध में यह पाया गया है कि बाल श्रम केवल एक आर्थिक मजबूरी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक संरचनात्मक समस्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षा के चक्र को बनाए रखती है। अध्ययन के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक समाजीकरण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं इन बच्चों के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। अंत में, इस समस्या के उन्मूलन हेतु सामाजिक चेतना, सामुदायिक भागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रमुख शब्द: *सहरिया जनजाति, बाल श्रम, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, निर्धनता, मध्यप्रदेश, जनजातीय विकास, सामाजिक न्याय।*

1. प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश के उत्तर-पश्चिमी जिलों जैसे गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर में निवास करने वाली सहरिया जनजाति के जीवन में व्याप्त बाल श्रम की चुनौती का अध्ययन किया गया है। सहरिया समाज भारत के उन समुदायों में से एक है जो आज भी आधुनिक विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल श्रम को एक ऐसी सामाजिक व्याधि के रूप में देखा जाता है जो न केवल बच्चे के व्यक्तिगत विकास को बाधित करती है, बल्कि पूरे समाज के भविष्य को अंधकारमय बना देती है (कुमार, 2019)।

इस शोध पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि सहरिया बच्चों का श्रम में संलिप्त होना उनकी इच्छा नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की रक्षा की एक विवशता है। जनजातीय समाजशास्त्र में यह मान्यता है कि जब कोई समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है, तो वह अपने सबसे कमजोर वर्ग अर्थात बच्चों को श्रम की ओर धकेलता है (जैन, 2017)। यह समस्या केवल आर्थिक तंगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संसाधनों के असमान वितरण और सामाजिक न्याय की विफलता का भी प्रमाण है। प्रस्तुत अध्ययन इसी समस्या के विभिन्न सामाजिक आयामों को उजागर करने का प्रयास करता है।

2. सहरिया जनजाति: एक सामाजिक एवं भौगोलिक परिचय

प्रस्तुत शोध पत्र में सहरिया जनजाति की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों का यह मत है कि यह फारसी शब्द सहर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल होता है। ऐतिहासिक रूप से यह जनजाति जंगलों के सघन क्षेत्रों में निवास करती रही है और स्वयं को प्रकृति का संरक्षक मानती है (सिंह, 1994)। मध्यप्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा इन्हें विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इनकी साक्षरता दर अत्यंत कम है, जनसंख्या वृद्धि की

Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-11, No.02, November: 2025
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18204645

दर स्थिर है और इनकी अर्थव्यवस्था आज भी पूर्व-कृषि तकनीक पर आधारित है। मेहरा (2021) के अनुसार, सहरिया समाज का विकास स्तर अन्य जनजातियों जैसे गोंड या भील की तुलना में भी अत्यंत न्यून पाया गया है, जो इन्हें सामाजिक श्रेणीक्रम में सबसे निचले पायदान पर रखता है।

इनका सामाजिक ढांचा पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक है, जहाँ परिवार का मुखिया सदैव पुरुष होता है और सामाजिक निर्णय सामूहिक रूप से जाति पंचायत द्वारा लिए जाते हैं। सहरिया लोग मुख्य रूप से सहराना नामक विशिष्ट बस्तियों में निवास करते हैं, जो प्रायःमुख्य गांव की सीमाओं से थोड़ी दूरी पर स्थित होती हैं। इनकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः वनों से प्राप्त सामग्री और कृषि मजदूरी पर आधारित रही है। शोध में यह देखा गया है कि निरंतर हो रही जंगलों की कटाई और कड़े सरकारी वन कानूनों के कारण इनकी पारंपरिक आजीविका के साधन पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। इस स्थिति ने सहरिया समाज को उनके प्राकृतिक परिवेश से बेदखल कर दिया है, जिसका सीधा और नकारात्मक प्रभाव बच्चों के जीवन और उनके समाजीकरण की प्रक्रिया पर पड़ा है।

भूमिहीनता इस समुदाय की सबसे बड़ी और भयावह त्रासदी बनकर उभरी है। सहरिया परिवारों के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि का अभाव है, जिसके कारण वे अपनी उत्तरजीविता के लिए पूरी तरह से बड़े भू-स्वामियों, स्थानीय ठेकेदारों और साहूकारों की दया पर निर्भर हो गए हैं (हसन, 2013)। यह आर्थिक निर्भरता उन्हें ऋणग्रस्तता की ओर ले जाती है, जहाँ से बाल श्रम का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार, सामाजिक और भौगोलिक अलगाव ने सहरिया समाज को विकास की दौड़ में पीछे धकेल दिया है, जिससे बच्चों का बचपन श्रम की भेंट चढ़ रहा है।

3. बाल श्रम के आयाम और स्वरूप

प्रस्तुत शोध पत्र में सहरिया बच्चों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के श्रम कार्यों का श्रेणीबद्ध विश्लेषण किया गया है। सहरिया समाज में बाल श्रम निम्नलिखित रूपों में विद्यमान है:

- **पत्थर खदानों में श्रम:** श्योपुर और ग्वालियर संभागों में बड़ी संख्या में सहरिया बच्चे अवैध पत्थर खदानों में जोखिम भरा कार्य करते पाए गए हैं। यहाँ वे भारी पत्थर ढोने और गिट्टी बनाने का कार्य करते हैं। सिलिका धूल के बीच काम करना उनके फेफड़ों के लिए घातक सिद्ध होता है।
- **कृषि और पशुपालन:** कृषि सीजन के दौरान बच्चे अपने माता-पिता के साथ खेतों में बुवाई, निराई और कटाई का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, मवेशियों को चराने की जिम्मेदारी भी अक्सर बच्चों पर ही होती है, जिसके कारण वे स्कूल नहीं जा पाते।
- **वनोपज संग्रहण:** तेंदूपत्ता, महुआ और जड़ी-बूटियां इकट्ठा करने के लिए बच्चों को घने जंगलों में भेजा जाता है। शोध में पाया गया है कि कड़ाके की ठंड और बारिश में भी बच्चे इन कार्यों में लगे रहते हैं, जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण होता है (हसन, 2013)।
- **घरेलू और बंधुआ मजदूरी:** कई क्षेत्रों में यह देखा गया है कि साहूकारों का कर्ज चुकाने के लिए सहरिया परिवारों को अपने बच्चों को उनके घर या खेतों पर काम करने के लिए छोड़ना पड़ता है। यह आधुनिक युग में गुलामी का एक सूक्ष्म रूप है।

4. बाल श्रम के सामाजिक-आर्थिक कारण

प्रस्तुत शोध पत्र में सहरिया जनजाति में बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले कारकों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया है। अध्ययन के अनुसार इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

4.1 भीषण निर्धनता और भुखमरी

सहरिया समाज में गरीबी का स्तर इतना अधिक है कि परिवार की कुल आय भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होती। शोध में यह पाया गया है कि एक छोटा बच्चा भी यदि प्रतिदिन 20-30 रुपये कमाता है, तो वह परिवार के लिए भोजन जुटाने में सहायक होता है (श्रीवास्तव, 2015)। गरीबी का यह स्तर बच्चों को शिक्षा से दूर कर देता है।

4.2 ऋणग्रस्तता (कर्ज का जाल)

सहरिया परिवारों में बीमारी, मृत्यु या विवाह जैसे आयोजनों

Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-11, No.02, November: 2025
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18204645

के लिए स्थानीय साहूकारों से ऊँची ब्याज दरों पर कर्ज लेने की प्रथा है। इस कर्ज को उतारने के लिए बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस व्यवस्था को समाजशास्त्रीय भाषा में 'आधुनिक बंधुआ श्रम' के रूप में चिन्हित किया गया है। साहूकारों का आतंक इतना अधिक है कि परिवार विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाते।

4.3 शिक्षा व्यवस्था की विफलता

यद्यपि सरकारी रिकॉर्ड में स्कूल मौजूद हैं, परंतु सहरिया बस्तियों में शिक्षकों की अनुपस्थिति और बुनियादी सुविधाओं का अभाव एक बड़ी समस्या है। शोध में यह देखा गया है कि स्कूलों में सहरिया बच्चों के साथ होने वाला भेदभाव भी उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करता है। माता-पिता को लगता है कि स्कूल में समय बिताने से बेहतर है कि बच्चा कोई काम सीखे (मिश्रा, 2016)।

4.4 सांस्कृतिक दृष्टिकोण और समाजीकरण

सहरिया समाज में बचपन और वयस्कता के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। शोध में यह देखा गया है कि बच्चे को बहुत कम आयु में ही घर की जिम्मेदारियों का हिस्सा मान लिया जाता है। समाजशास्त्रीय रूप से इसे 'समय से पूर्व वयस्कता' कहा जा सकता है, जहाँ बच्चा खेलने-कूदने की उम्र में ही जीवन के कठोर संघर्षों से परिचित हो जाता है।

5. बाल श्रम का बच्चों पर प्रभाव: समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

प्रस्तुत शोध पत्र में बाल श्रम के कारण बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले बहुआयामी प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

5.2 शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

खदानों में काम करने वाले सहरिया बच्चों में 'सिलिकोसिस' और 'क्षयरोग' (टीबी) जैसी बीमारियां अत्यंत आम हैं। निरंतर धूल और प्रदूषण के बीच काम करने से उनका श्वसन तंत्र छोटी उम्र में ही खराब हो जाता है। साथ ही, भारी शारीरिक श्रम उनके शारीरिक विकास को अवरुद्ध कर देता है, जिससे वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं (पाण्डेय, 2014)।

5.2 मनोवैज्ञानिक प्रभाव

श्रम में संलग्न बच्चों का बचपन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। वे खेलकूद और मनोरंजन की गतिविधियों से वंचित रह जाते हैं। कार्यस्थल पर होने वाला शोषण और दुर्व्यवहार उनके मन में हीन भावना और समाज के प्रति आक्रोश पैदा करता है। यह उनके आत्मविश्वास को स्थायी रूप से नुकसान पहुँचाता है।

5.3 समाजीकरण में बाधा

एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बच्चे का सही समाजीकरण आवश्यक है। बाल श्रम के कारण सहरिया बच्चों का संपर्क केवल मजदूरी करने वाले वयस्कों और शोषक ठेकेदारों से होता है। शोध में यह रेखांकित किया गया है कि इससे उनके नैतिक और चारित्रिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वे अक्सर व्यसनों की ओर आकर्षित हो जाते हैं (शर्मा, 2012)।

6. सरकारी नीतियां और संवैधानिक रक्षा कवच

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के संविधान और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रभावशीलता की समीक्षा की गई है।

- **संविधान का अनुच्छेद 24:** यह स्पष्ट रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध करता है।
- **बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम 1986:** यह कानून बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है, परंतु सहरिया क्षेत्रों में क्रियान्वयन की कमी के कारण इसका प्रभाव सीमित है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009:** यह 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करता है। शोध में पाया गया कि सहरिया बच्चों के लिए 'आश्रम शालाएं' (छात्रावास) संचालित की जा रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और सुविधाओं की कमी एक बड़ी बाधा है (तिवारी, 2013)।
- **सहरिया विकास प्राधिकरण:** मध्यप्रदेश सरकार ने इस जनजाति के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन किया है, जो बाल कुपोषण और शिक्षा पर कार्य कर रहा है।

7. शोध निष्कर्ष और विश्लेषण

Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-11, No.02, November: 2025
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18204645

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि सहरिया जनजाति में बाल श्रम केवल आर्थिक अभाव का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनकी सामाजिक उपेक्षा का भी परिचायक है। अध्ययन में यह पाया गया है कि जब तक सहरिया परिवारों को स्थायी रोजगार और भूमि का अधिकार नहीं मिलता, तब तक बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना असंभव है।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि बाल श्रम एक चक्र की भांति कार्य करता है। अशिक्षित और गरीब बच्चा बड़ा होकर एक अशिक्षित और गरीब माता-पिता बनता है, जो पुनः अपने बच्चे को श्रम की ओर धकेलता है। इस 'निर्धनता के दुष्चक्र' को तोड़ने के लिए शिक्षा और सामाजिक सुधार की एक साथ आवश्यकता है (चौहान, 2015)।

8. समस्या समाधान हेतु सुझाव

इस शोध पत्र में सहरिया समाज से बाल श्रम को समाप्त करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं:

1. **आवासीय विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण:** सहरिया बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय बनाए जाने चाहिए जहाँ उन्हें न केवल शिक्षा, बल्कि पौष्टिक भोजन और स्नेहपूर्ण वातावरण मिले।
2. **साहूकारी प्रथा पर लगाम:** स्थानीय साहूकारों के शोषण से सहरिया परिवारों को बचाने के लिए उन्हें सरकारी सहायता और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
3. **समुदाय आधारित जागरूकता:** सहरिया समाज के भीतर ही शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग हो।
4. **कानून का सख्त क्रियान्वयन:** बाल श्रम कराने वाले ठेकेदारों और खदान मालिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
5. **मनरेगा का प्रभावी उपयोग:** सहरिया परिवारों को उनके निवास स्थान के पास ही 200 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे बच्चों के साथ पलायन न करें।

9. उपसंहार

अंतत; प्रस्तुत शोध पत्र यह स्पष्ट करता है कि मध्यप्रदेश की सहरिया जनजाति में बाल श्रम एक कलंक की भांति विद्यमान है जो उनके विकास की गति को रोक रहा है। यदि हमें एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, तो सहरिया बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा। सरकार, समाज और स्वयंसेवी संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों से ही इस जनजाति के बच्चों को उनका खोया हुआ बचपन वापस लौटाया जा सकता है। सहरिया समाज का उत्थान ही वास्तव में मध्यप्रदेश के सामाजिक विकास की सच्ची कसौटी है।

संदर्भ सूची (References)

1. **अग्रवाल, पी.सी. (2018).** *भारत में जनजातीय विकास: चुनौतियां और संभावनाएं.* नई दिल्ली: विकास प्रकाशन.
2. **चौहान, बी.आर. (2015).** *राजस्थान और मध्यप्रदेश की जनजातियां: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन.* जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स.
3. **दुबे, एस.सी. (2010).** *भारतीय समाज.* नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट.
4. **गुप्ता, एम.एल. एवं शर्मा, डी.डी. (2020).** *भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन.* आगरा: साहित्य भवन पब्लिकेशन्स.
5. **हसन, ए. (2013).** *सहरिया जनजाति का आर्थिक जीवन और संघर्ष.* भोपाल: जनजातीय अनुसंधान संस्थान.
6. **जैन, पी.सी. (2017).** *जनजातीय समाजशास्त्र के सिद्धांत.* उदयपुर: हिमांशु पब्लिकेशन्स.
7. **कुमार, एन. (2019).** *भारत में बाल श्रम: कारण, प्रभाव और समाधान.* इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.
8. **मेहरा, के. (2021).** *मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां.* ग्वालियर: मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ

Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-11, No.02, November: 2025
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18204645

अकादमी.

9. **मिश्रा, आर.के. (2016).** *जनजातीय शिक्षा और बच्चों के अधिकार.* दिल्ली: ज्ञान पब्लिशिंग हाउस.
10. **पाण्डेय, जी.डी. (2014).** *सहरिया जनजाति की स्वास्थ्य स्थिति और बाल मृत्यु दर.* जबलपुर: क्षेत्रीय जनजातीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र.
11. **राय, यू.एन. (2018).** *बाल मजदूरी और भारतीय कानून.* पटना: भारती भवन.
12. **शर्मा, के.एल. (2012).** *भारत में सामाजिक स्तरीकरण और असमानता.* जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स.

Copyright @ 2025 Author